



प्रेस नोट

थाना असोथर जनपद फतेहपुर

थाना असोथर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 177/2024 धारा धारा 80(2),85 बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट के नामजद/वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर द्वारा वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय थरियांव व प्रभारी निरीक्षक थाना असोथर फतेहपुर के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 30.09.2024 को उ0नि0 शशिकान्त यादव मय हमराह के द्वारा मु0अ0सं0 177/2024 धारा 80(2),85 बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट में नामजद/वांछित अभियुक्त अम्बुज उर्फ प्रशान्त पुत्र सुरेश शुक्ला निवासी बेसड़ी थाना असोथर जनपद फतेहपुर उम्र 31 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय फतेहपुर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु थाना स्थानीय से प्रस्थान कराया गया।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 177/2024 धारा 80(2),85 बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 शशिकान्त यादव
2. उ0नि0 कृष्ण देव
3. का0 राघेवन्द्र शर्मा

